न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 30 / 2018

1 बालकिशन आयु 83 साल पुत्र स्व. नरेना उर्फ नाराणा जाति जाट पेशा खेती निवासी बिशनपुरा 2 (द्वितीय) तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. ।

अपीलांटस

बनाम

1 हिमतराम आयु 77 साल पुत्र नरेना उर्फ नाराणा जाति जाट निवासी बिशनपुरा 2(द्वितीय) तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दावा उनवानी हिमतराम बनाम बालकिशन आदि दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 108 / 2014

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांकः— 10/3/26

—निर्णय—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 108/2014 में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन कृषि भूमि व प्राप्त करने चिस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 17, 18, 19, 20, 62, 66, 67 वाके ग्राम बिशनपुरा 2 (द्वितीय) का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दावा किया। जिसमें पैरवी के लिय अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 ने अभिभाषक नियुक्त किया और कोई भी कार्य नहीं होने से तारीखे पड़ी। दिनांक 05.07.2013 को पेशी दिनांक 20.12.2013 की गयी थी। दिनांक 20.12.2013 के कस्बा चिड़ावा में अभिभाषक ने कहा कि आज यहां तारीख पेशी नहीं होगी व पत्रावली स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में प्रेषित की जा चुकी है व वहां से नोटिस आयेगा। लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 को आज तक दावे की सुनवाई के लिये कोई नोटिस नहीं दिया व बिना नोटिस तामील के ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर निर्णय व अंतिम डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 की अनुपस्थिति में पारित किया गया। दिनांक 12.04.2016 को जवाब दावा व तलबी में पेशी दी गयी और बिना तलबी के ही दिनांक 28.04.2016 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी व प्राथमिक डिक्री में यह भी दर्ज नहीं किया कि किस पक्षकार को कितना

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्सा बांटकर देना है। अस्पष्ट प्राथमिक डिक्री जारी की गयी कि रिकार्ड के मुताबिक भौतिक बंटवारा तहसीलदार सूरजगढ़ कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये। इसके बाद दिनांक 17.04.2017 को निर्णय व अंतिम डिक्री जारी कर दी। आदेशिका से साफ जाहिर है कि दिनांक 17.04.2017 को आगामी पेशी दिनांक 29.06.2017 दी गयी थी जिसको काटकर अवैध निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की जो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स 1955 के नियत 18 से 21 विभाजन के संबंध में है जो आदेशात्मक है। प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं को नाप कर विभाजन करना आवश्यक है। तहसीलदार सूरजगढ़ न तो मौके पर गये और न ही नपति की और न ही विभाजन प्रस्ताव बनाये। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी से मिलकर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार को प्रेषित किये और तहसीलदार ने पटवारी द्वारा बनाये गये विभाजन प्रस्ताव को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को भेज दिये व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने अवैध व शुन्य विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय अंतिम डिक्री अवैध रूप से पारित कर दी जो खारिज होने योग्य है। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव पर तारीख 07.07.2016 अंकित है व तहसीलदार के पत्र पर तारीख 15.07.2016 अंकित है। दिनांक 22.09.2016 की आदेशिका के अनुसार विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में नहीं आये व करीब 1 साल बाद में विभाजन प्रस्ताव आना आदेशिका में दर्ज कर निर्णय व अंतिम डिक्री गलत जारी की गयी। मौके पर तहसीलदार सुरजगढ़ नहीं गये व पटवारी हल्का ने कोई नाप नहीं किया और न ही मौके पर विभाजन प्रस्ताव बनाया। जमीन खसरा नम्बर 20 में अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 आबाद है इसके बावजूद भी विभाजन करने के लिये अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 को न नोटिस दिया व न सुना और न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाये। विचारण न्यायालय ने भी विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट से आपत्ति नही मांगी और न सुना। इस प्रकार निर्णय व अंतिम डिक्री खिलाफ

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कानून होने से खारिज होने योग्य है। विभाजन के लिये जोत का मुल्यांकन नहीं किया व नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गयी। पटवारी हल्का ने बिना नाप के ही गलत खसरा नम्बर 67/1 व खसरा नम्बर 18/1 की जमीन का अंकन किया जो साफ दिखाई देता है कि खसरा नम्बर 67 के पश्चिम, दक्षिण व पूर्व में रास्ता अंकित कर दिया व खसरा नम्बर 67 के उत्तरी पूर्वी कोने में रास्ता अंकित कर दिया व खसरा नम्बर 18 में से उत्तर से दक्षिण प्रचलित रास्ते से अधिक चौड़ाई का रास्ता गलत अंकित कर दिया व अंतिम डिक्री में अंकन के बाबत भी अवैध आदेश पारित किया गया। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दावा किया जिसमें पैरवी के लिय अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 ने अभिभाषक नियुक्त किया और कोई भी कार्य नहीं होने से तारीखे पड़ी। दिनांक 05.07.2013 को पेशी दिनांक 20.12.2013 की गयी थी। दिनांक 20.12.2013 के कस्बा चिड़ावा में अभिभाषक ने कहा कि आज यहां तारीख पेशी नहीं होगी व पत्रावली स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में प्रेषित की जा चुकी है व वहां से नोटिस आयेगा। लेकिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 को आज तक दावे की सुनवाई के लिये कोई नोटिस नहीं दिया व बिना नोटिस तामील के ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर निर्णय व अंतिम डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 की अनुपस्थिति में पारित किया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2016 को जवाब दावा व तलबी में पेशी दी गयी और बिना तलबी के ही दिनांक 28.04.2016 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। रिकार्ड के मुताबिक भौतिक बंटवारा किये बिना तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये। इसके बाद दिनांक 17.04.2017 को निर्णय व अंतिम डिक्री जारी कर दी।

विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 17.04.2017 को आगामी पेशी दिनांक 29.06.2017 दी गयी थी जिसको काटकर विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 विभाजन के संबंध में है जो आदेशात्मक है। प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। तहसीलदार सूरजगढ़ न तो मौके पर गये और न ही नपति की और न ही विभाजन प्रस्ताव बनाये।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर तारीख 07.07.2016 अंकित है व तहसीलदार के पत्र पर तारीख 15.07.2016 अंकित है। दिनांक 22.09.2016 की आदेशिका के अनुसार विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में नहीं आये व करीब 1 साल बाद में विभाजन प्रस्ताव आना आदेशिका में दर्ज कर निर्णय व अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की गई है।

विचारण न्यायालय ने भी विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट से आपत्ति नही मांगी और न सुना। विभाजन के लिये जोत का मुल्यांकन नहीं किया व नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गयी। पटवारी हल्का ने बिना नाप के ही गलत खसरा नम्बर 67/1 व खसरा नम्बर 18/1 की जमीन का अंकन किया जो साफ दिखाई देता है कि खसरा नम्बर 67 के पश्चिम, दक्षिण व पूर्व में रास्ता अंकित कर दिया व खसरा नम्बर 67 के उत्तरी पूर्वी कोने में रास्ता अंकित कर दिया व खसरा नम्बर 18 में से उत्तर से दक्षिण प्रचलित रास्ते से अधिक चौड़ाई का रास्ता गलत अंकित कर दिया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को अपास्त किया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)